

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
रायपुर रोड, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 621 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-पदोन्नति / 2023-24

दिनांक 09 जून, 2023

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश 1/120994/2023/XX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश 1/120990/2023/XX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुत किये गये विभाग में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	परिमण्डल पिथौरागढ़	परिमण्डल देहरादून	अनुरोध के आधार पर धारा-13 (6) के अन्तर्गत	-

1. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपभोग कर सकेंगे।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

(इं. ए0के0 पन्त)  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल, नैनीताल।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. कार्यालय आदेश पत्रबंध।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड, देहरादून।